न्यायालय :– सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 07/2024

शीर्षक

1. सुरजभान चौधरी पुत्र श्री गोरधन जाति–जाट, निवासी खोरालाडखानी, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज0)।
2. संतोष देवी पत्नि प्रभुदयाल कपूरिया जाति जाट, निवासी–सौ बीघा वाली ढाणी सुराणा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर , (राज0)।

– वादी

बनाम

1. कुसुम अग्रवाल पत्नि राजेश कुमार अग्रवाल जाति महाजन, निवासी –प्लॉट नं0 बी298 मालवीय नगर जयपुर, (राज0)।
2. रहीश खॉ पुत्र अन्नू खां जाति–मुसलमान, निवासी–मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय दिनांक 8/2/2024

वाद संक्षेप इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 356 के खसरा नंबरान् 7360/1/0.51, 7364/1/0.39 कुल किता 02 कुल रकबा 0.90 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्जेहाल है। उक्त आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण मौका पर आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्से पर आबाद होकर काबिज काश्त है। यह कि कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने खेतों का सहमति से बंटवारा करवाकर नंबर व रकबा अलग–अलग करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण बंटवारा करवाने से साफ इन्कारी हो गये तथा वादीगण के साथ आमाद फिसाद हो गये तथा एलानिया धमकी दी है कि हम किसी भी कीमत पर आराजी का वैधानिक बंटवारा नहीं होने देंगे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में इसी प्रकार मदाखलत पैदा करते रहेंगे, जिस कारण वादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

यह कि कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्तियो को लेकर वादी के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी मुतनाजा की भूमि पर आये और उक्त विवादित भूमि की सीमाऐ बेचान करने के उद्देश्य से दिखाने लगे व मौके पर नाप जोख करने लगे वादी ने नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करेगे तथा भूमि का बेचान करेगे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया कि और कहा कि अभी अपनी भूमि का कानूनी बंटवारा नही हुआ है तथा आपको किसी भी विशिष्ट भू–भाग को बिना बंटवारा करवाये बेचान करने व निर्माण कार्य करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है जिस पर प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कहा कि हम तो बिना तकास्मा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भू–भाग का बेचान दीगर अजनबी व्यक्तियो को करेगे जो तुम्हे अपने आप जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देगे तथा अबकी बार तुझे फसल काश्त नही करने देगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतो से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नही रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकास्मा करवाये विशिष्ट भू–भाग बेचने पर आमादा है इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादी के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करवाये।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 356 के खसरा नम्बरान 7360/1/0.51, 7364/1/0.39 कुल किता 02 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम शिवपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार राजस्व नियमों के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये मौका पर कब्जा काश्त को बयान में रखते हुये सरस–नरस के अनुसार पर कानूनी बंटवारा किया जाये तथा तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं पृथक–पृथक राजस्व लगानइ निर्धारित किये जाने की आज्ञा प्रदान करे। तथा प्रतिवादीगण को सदैव–सदैव के लिये इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे बंटवारा होने के बाद हिस्से में आई आराजी मुतनाजा के कब्जा काश्त में उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बेवजह मदाखलत पैदा न तो स्वयं करे और न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, उत्तराधिकारी स्थानापन्न से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। बाद तामील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 03 के विरूद्ध दिनांक 02.02.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने उक्त वाद पत्र के संबंध में निवेदन किया सभी प्रतिवादीगण की तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहें है। अतः प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया न्यायोचित एवं न्यायासंगत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील वादी की बहस पर मनन किया गया अतः प्रकरण में दिनांक 02.02.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/733 दिनांक 07.02.2024 द्वारा बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बंटवारा कुर्रेजात पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने बंटवारा कुर्रेजात

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

रिपोर्ट अनुसार वाद–पत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर के हाल आ0ख0नं0 7360/1/0.51, 7364/1/0.39 कुल किता 02 कुल रकबा 0.90 है0 भूमि का खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. **कुसुम अग्रवाल पत्नि राजेशकुमार अग्रवाल जाति महाजन हि0 6750/7313 निवासी प्लॉट नंबर बी 298 मालवीयनगर जयपुर, रहीस खां पुत्र अन्नूखां हि0 563/7313 जाति मुसलमान सा0 मनोहरपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7364/1 रकबा 0.3900, 7360/1/1 रकबा 0.2850 है0, 7360/1/3 रकबा 0.0563 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7313 है0 भूमि रहेगी।**
2. **सुरजभान चौधरी पुत्र गोरधन हि0 1/3 जाति जाट निवासी खोरालाडखानी, सन्तोष देवी पत्नि प्रभुदयाल कपूरिया हि0 2/3 जाति जाट निवासी ढाणी सोबीघावाली, सुराणा खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7360/1/2 रकबा 0.1687 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1687 है0 भूमि रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें। पर्चा डिक्री जारी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 8/2/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

कार्यालय सहायक कलेक्टर (जिला-जयपुर)
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 07/2024

शीर्षक

1. सुरजभान चौधरी पुत्र श्री गोरधन जाति–जाट, निवासी खोरालाडखानी, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज0)।
2. संतोष देवी पत्नि प्रभुदयाल कपूरिया जाति जाट, निवासी–सौ बीघा वाली ढाणी सुराणा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर , (राज0)।

– वादी

बनाम

1. कुसुम अग्रवाल पत्नि राजेश कुमार अग्रवाल जाति महाजन, निवासी –प्लॉट नं0 बी298 मालवीय नगर जयपुर, (राज0)।
2. रहीश खॉ पुत्र अन्नू खां जाति–मुसलमान, निवासी–मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय दिनांक 8/2/2024

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर के हाल आ0ख0नं0 7360/1/0.51, 7364/1/0.39 कुल किता 02 कुल रकबा 0.90 है0 भूमि का खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. कुसुम अग्रवाल पत्नि राजेशकुमार अग्रवाल जाति महाजन हि0 6750/7313 निवासी प्लॉट नंबर बी 298 मालवीयनगर जयपुर, रहीस खां पुत्र अन्नूखां हि0 563/7313 जाति मुसलमान सा0 मनोहरपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7364/1 रकबा 0.3900, 7360/1/1 रकबा 0.2850 है0, 7360/1/3 रकबा 0.0563 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7313 है0 भूमि रहेगी।
2. सुरजभान चौधरी पुत्र गोरधन हि0 1/3 जाति जाट निवासी खोरालाडखानी, सन्तोष देवी पत्नि प्रभुदयाल कपूरिया हि0 2/3 जाति जाट निवासी ढाणी सोबीघावाली, सुराणा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 7360/1/2 रकबा 0.1687 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1687 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 8/2/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	